

2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby Directs that M/s. RIO TINTO EXPLORATION INDIA LIMITED, 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 5,50,000 (Rs. Five Lac Fifty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 55,00,00,000 for equity Share Certificate with distinctive Nos. 14,50,00,001 to 20,00,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (497)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3061.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स लुइस डरेफस कर्मांडिटिज इंडिया प्रा. लि., एफ 301, गोरी सदन, 5, हेली रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 27,93,30,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 34,67,770 से 69,59,394 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,79,330 (रुपये दो लाख उनसी हजार तीन सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(497)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3061.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Louis Dreyfus Commodities India Private Limited, F-301, Gauri Sadan, 5, Haily Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 2,79,330 (Rs. Two Lac Seventy Nine Thousand and Three Hundred Thirty) on the aggregate value of shares of Rs. 27,93,30,000 for equity Share Certificates, with distinctive Nos. 34,67,770 to 69,59,394 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (496)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3060.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ल्यूमिनस टेलीइन्फ्रा लि., सी-8 एण्ड सी-9, कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,00,00,000 मूल्य के ओपशनली कनवर्टीबल डेबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 1 से 40,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING
REVENUE AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 2nd February, 2009

F. No. 10(485)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3062.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.

F. No. 10(496)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3060.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Luminous Teleinfra Limited, C-8 and 9, Community Centre, Janakpuri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac) only on the aggregate value of debentures of Rs. 4,00,00,000 for issue of Optionally Convertible Debenture bearing distinctive No. 1 to 40,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (375)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3079.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि 1, बाराखम्बा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 594,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर (2013) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00005940 (सीरीज 51-B) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(375)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3079.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 594,00,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative taxable bonds in the nature of Debentures (2013) Series 51-B bearing distinctive No. 00000001 to 00005940 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (487)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3078.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि 1, बाराखम्बा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,50,60,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर

(2018) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00019506 (सीरीज 52-C) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(487)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3078.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 19,50,60,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative taxable bonds in the nature of Debenture (2018) Series 52-C bearing distinctive No. 00000001 to 00019506 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (489)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3077.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि 1, बाराखम्बा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 662,70,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर (2013) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00006627 (सीरीज 52-A) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(489)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3077.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 662,70,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative taxable bonds in the nature of Debenture (2013) Series 52-A bearing distinctive No. 00000001 to 00006627 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (490)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3082.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक

24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 15,85,10,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिसेम्बर (2010) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 0,00,00,001 से 0,00,15,851 (सीरीज 53) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(490)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3082.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 15,85,10,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative taxable bonds in the nature of Debenture (2010) Series 53 bearing distinctive No. 00000001 to 0,00,15,851 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (374)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3081.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 495,20,00,000/- मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिसेम्बर (2011) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 0,00,00,001 से 00004952 (सीरीज 51-A) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(374)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3081.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance

Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 495,20,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative taxable bonds in the nature of Debentures (2011) Series 51-A bearing distinctive No. 00000001 to 00004952 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (488)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3080.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 58,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिसेम्बर (2015) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 0,00,00,001 से 0,00,00,580 (सीरीज 52-B) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 14,50,000 (रुपये चौदह लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(488)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3080.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 14,50,000 (Rs. Fourteen Lakh Fifty Thousand) only on the aggregate value of debentures of Rs.58,00,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative taxable bonds in the nature of Debenture (2015) Series 52-B bearing distinctive No. 00000001 to 00000580 to be issued by the said company.

दिल्ली, 4 फरवरी, 2009

सं. फा. 10 (499)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3133.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स लुइस डरेफस कंमॉडिटीज इंडिया प्रा. लि. एफ 301, गोरी सदन, 5, हेली रोड, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 17,00,75,760 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,41,823 से 34,67,769 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क

रुपये 1,70,076 (रुपये एक लाख सत्तर हजार छिहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 4th February, 2009

F. No. 10(499)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3133.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Louis Dreyfus Commodities India Private Limited, F-301, Gauri Sadan, 5, Haily Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 1,70,076 (Rs. One Lakh Seventy Thousand and Seventy Six) on the aggregate value of shares of Rs. 17,00,75,760 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 13,41,823 to 34,67,769 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (458)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3132.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इनडसव्यू एडवाइजर्स प्रा. लि. बी-5/159, सफदरजंग इक्लेव, नई दिल्ली-110029, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 66,14,050 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 6,71,405 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,615 (रुपये छः हजार छः सौ पन्द्रह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(458)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3132.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indusview Advisors Private Limited, B-5/159, Safdarjang Enclave, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 6,615 (Rs. Six Thousand Six hundred Fifteen) on the aggregate value of shares of Rs. 66,14,050 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 6,71,405 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (504)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3131.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री संकल्प एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि. 21, बाबर लेन,

नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,66,201 से 15,66,200 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(504)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3131.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sankalp Advisory Services Private Limited, 21, Babar Lane, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 2,00,000 (Rs. Two Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 2,00,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,66,201 to 15,66,200 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (447)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3136.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सुविधा स्टार नेट प्रा. लि. इन्टरप्राइज, डी-128-129, 402 टैरिस फ्लोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, ओखला, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,98,99,889 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 25,18,896 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,39,900 (रुपये एक लाख उनतालीस हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(447)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3136.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Suvridha Star Net Private Limited, Enterprise, D-128-129, 402 Terrace Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, Okhla, New Delhi-110020 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 1,39,900 (Rs. One Lac Thirty Nine Thousand Nine Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 13,98,99,889 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 25,18,896 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (505)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3135.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बल्यू बर्ड होटल्स प्रा. लि. 106, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा

जारी किए जाने वाले रुपये 8,80,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 9,06,725 से 25,06,724 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 88,000 (रुपये अट्ठासी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(505)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3135.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Blue Bird Hotels Private Limited, 106, Babar Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 88,000 (Rs. Eighty Eight Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 8,80,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 9,06,725 to 25,06,724 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (503)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3134.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गमबर्ग ग्लोबल इंडिया प्रा. लि., 7, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,10,001 से 20,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(503)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3134.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Gumberg Global India Private Limited, 7, Bara Khamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 10,000 (Rs. Ten Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,10,001 to 20,10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (482)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3140.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओमनीलाईफ इंडिया प्रा. लि., आर-77ए, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,60,690 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 50,16,069 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क

रुपये 50,061 (रुपये पचास हजार इकसठ) केवल के सम मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(482)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3140.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Omniflife India Private Limited, R-77A, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 50,061 (Rs. Fifty Thousand Sixty One) on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,60,690 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 50,16,069 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (500)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3139.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टाईमैक्स ग्रुप प्रीसिजन इंजिनियरिंग लि., 117, ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 17,15,38,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 85,86,001 से 2,57,39,800 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,71,538 (रुपये एक लाख इकहत्तर हजार पांच सौ अड़तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(500)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3139.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Timex Group Precision Engineering Limited, 117, Ground Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 1,71,538 (Rs. One Lac Seventy One Thousand Five Hundred Thirty Eight) on the aggregate value of shares of Rs. 17,15,38,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 85,86,001 to 2,57,39,800 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (510)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3137.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि. आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 37,22,00,000 मूल्य के टेक्सेबल रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, बोनडस जो कि प्रोमिजरी

नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 2009005731 से 2009009452 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,61,000 (रुपये छः लाख इकसठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(510)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3137.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 6,61,000 (Rs. Six Lac Sixty One Thousand) only on the aggregate value of Rs. 37,22,00,000 for taxable redeemable non-convertible bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 2009005731 to 2009009452 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (506)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3143.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थाईसन करप एलिवेटर (इंडिया) प्रा. लि., प्लाट नं. 330, फंक्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट, पटपडगंज, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 20,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,22,12,001 से 7,22,12,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(506)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3143.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Thyssenkrupp Elevator (India) Private Limited, Plot No. 330, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi-110092 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 2,00,000 (Rs. Two Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,00,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 5,22,12,001 to 7,22,12,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (498)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3142.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं

कि सर्वश्री राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेन्टर प्रा. लि., 7, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 50,49,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,85,10,001 से 9,90,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,04,900 (रुपये पांच लाख चार हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(498)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3142.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rajasthan Prime Steel Processing Center Private Limited, 7, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 5,04,900 (Rs. Five Lac Four Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 50,49,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 4,85,10,001 to 9,90,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (501)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3141.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दीवान चन्द मैडिकल सर्विसेज प्रा. लि., 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 39,890 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,22,649 से 2,26,637 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 40 (रुपये चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(501)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3141.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diwan Chand Medical Services Pvt. Ltd., 10-B, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated Stamp Duty of Rs. 40 (Rs. Forty) only on the aggregate value of shares of Rs. 39,890 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 2,22,649 to Rs. 2,26,637 be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)